Form No. III

Qnl&vgdke

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

जमनालाल **बनाम** **गोपाललाल वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970**

किस्म मुकदमा **राजस्व प्रार्थना–पत्र** नं0 **043** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पूर्व में अप्रार्थीगण की तलबी बाद तामील प्राप्त है। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1, 2 की और से अधिवक्ता छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। पूर्व में प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार से पत्रांक/अभिलेखागार/2024/205 दिनांक 17.12.2024 से मूल अभिलेख पत्रावली प्राप्त हुई है जो की न्यायालय के दीगर प्रकरण संख्या 041/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी बगदीराम बनाम गोपाललाल वगैराह अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के साथ के हम किता हैं, इस पत्रावली में भी रिकार्ड पर लिया जाता है। हाजिर वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्य प्रकरणों को समेकित किये जाने हेतु पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। हाजिर वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पर कोई एतराज नहीं होना अंकित कर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस प्रार्थना–पत्र का निवेदन किया। इस पर हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण (प्रार्थना–पत्र के प्रार्थीगण) ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अप्रार्थीगण 1 व 2 पक्ष में उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा किये गये आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 153/2022 आदेश दिनांक 15.09.2022 के संबंध में दीगर प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 इसी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है, जिनके प्रकरण संख्या 041/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी बगदीराम बनाम गोपाललाल वगैराह एवं 045/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी मोतीलाल बनाम गोपाललाल वगैराह प्रस्तुत किये गये है, उक्त तीनों के प्रकरणों के आवंटन निरस्त कराये जाने के आधार एक ही होकर पृथक–पृथक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये है, अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर उक्त तीनों प्रकरणों को एक साथ समेकित किया जाकर प्रकरणों की सुनवाई की जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की। इस पर हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

(प्रार्थना–पत्र के अप्रार्थी) ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया एवं न्यायालय में विचाराधीन तीनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ किये जाने बाबत् कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की। हमने उक्त तीनों पत्रावलियों का गहनता पूर्वक अध्ययन अवलोकन किया। हाजिर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का शांत चित्त मन से चिंतन–मनन किया।

इसी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 041/2024(रा.प्रा.प.), 043/2024(रा.प्रा.प.) एवं 045/2024(रा.प्रा.प.) पृथक–पृथक प्रार्थीगण द्वारा एक ही आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 153/2022 दिनांक 15.09.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा किये गये आवंटन आदेश के विरूद्ध एक ही अप्रार्थीगण के विरूद्ध किये गये है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरणों की पृथक–पृथक सुनवाई किये जाने से एक ही आवंटन प्रकरण संख्या 153/2022 दिनांक 15.09.2022 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के संबंध में विरोधाभासी निर्णय होना संभाव्य है, अतः उक्त तीनों प्रकरणों की सुनवाई एक साथ किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् अन्य प्रकरणों को समेकित किये जाने को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आधार पर प्रकरण संख्या 043/2024(रा.प्रा.प.) अनवानी जमनालाल बनाम गोपाललाल वगैराह एवं 045/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी मोतीलाल बनाम गोपाललाल वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर उक्त दोनों प्रकरणों को प्रकरण संख्या 041/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी बगदीराम बनाम गोपाललाल वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के साथ समेकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण संख्या 041/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी बगदीराम बनाम गोपाललाल वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 का निर्णय उक्त दोनों प्रकरणों प्रकरण संख्या 043/2024(रा.प्रा.प.) अनवानी जमनालाल बनाम गोपाललाल वगैराह एवं 045/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी मोतीलाल बनाम गोपाललाल वगैराह में प्रभावी होगा। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावें एवं आदेशानुसार उक्त दोनो प्रकरण प्रकरण संख्या 043/2024(रा.प्रा.प.) एवं 045/2024 (रा.प्रा.प.) की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के प्रकरण संख्या 041/2024 (रा.प्रा.प.) अनवानी बगदीराम बनाम गोपाललाल वगैराह कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

–ह0–
(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
15.01.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official